

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 434 / 124 गोपेश्वर, दिनांक 31-7-2017
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा - निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोसिफयर रिजर्व गोपेश्वर।
विषय:- प्रस्तावित बुगीधार मेहलचौरी - बछवावाण मोटर मार्ग के किमी 0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का
निर्माण।

महोदय,


उपरोक्त विषय के क्रम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं०	प्रश्न	उत्तर
1	. In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-6 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the 434.32 ha CA has been done prior to 2008 against 1031.955 ha of forest land diverted which is not the correct reply of the query. As per data given in para- 14 of online Part-II, the CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Any mismatch between the CA stipulated and the forest land diverted is required to be clarified suitably.	पार्ट II के निर्धारित कालम 14 के District Profile में संशोधित की गई है एवं Additional information Details के क्रम संख्या 2 में अपलोड की गई है।
2	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-7 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density has been revised to 0.3 now in online Part-II and accordingly, NPV has been recalculated but, the density is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.	NPV के घनत्व को पार्ट II के कालम 4 में संशोधित कर 0.2 किया गया है एवं Additional information Details के क्रम संख्या 3 में अपलोड किया गया है।
3	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-8 of EDS dated 18.05.2016, the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Further, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescriptions are still not given in para-5 of online Part-II in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की वर्तमान की कार्ययोजना वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013 -14 तक था। इसके उपरान्त 2014-15 से 2023-24 तक की कार्ययोजना कार्ययोजना अधिकारी द्वारा भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया गया है। जब तक उक्त कार्ययोजना अनुमोदित नहीं होगा, उस कार्ययोजना में दिये गये prescriptions को अन्तिम नहीं माना जा सकता है। अतः इस प्रकरण में संबन्धित क्षेत्र का working plan prescriptions दिया जाना संभव नहीं है।
4	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-9 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00 lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of the mitigative measures to be implemented has not been submitted/ attached with the reply.	भू- क्षरण की रोकथाम के लिए रु० 35.00 लाख का आगणन किया गया है। जिसे पार्ट II के कालम 13 में Additional information Details के क्रम संख्या 4 में अपलोड किया गया है।

5	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-10 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil and Panchayati Land and the affect of Leopard etc. is negligible in the area. Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part-II that 2.38 ha of Reserve Forest Land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से वन्य जन्तुओं पर प्रभाव नगण्य होगा।
6	The reply of point No.-2 of EDS dated 24.05.2016 has not been submitted by the State Govt. wherein it was informed that the DSS analysis of the area proposed for CA revealed that 1.00 ha area is falling in very dense forest which is not considered suitable for CA. State Govt. was asked to change the 1.00 ha area proposed for CA in some other suitable area.	बिन्दु संख्या 6 का निराकरण करने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में 1.00 है काफी संख्या में झाड़ियाँ हैं, जिस कारण क्षेत्र घना दिखाई दे रहा है। अतः चिन्हित/ प्रस्तावित सिंगल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र सवर्दा उपयुक्त है।

वर्तमान में मोटर मार्ग न होने से क्षेत्र का विकास में बहुत पिछड़ा है, वहाँ बसी जनसंख्या का ना ही समाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो पाया है। सामान्य दैनिक कार्यों हेतु ग्रामीणों को 7-8 किमी० की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अस्वस्थता तथा महिलाओं को प्रसव आदि की स्थिति में मोटर मार्ग न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसे उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु जनहित में आवश्यक है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीया,



(नीतू लक्ष्मी एम०)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।